I/153174/2023

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वि० आ०–सा० नि०) अनुभाग–7

संख्या–153174/XXVII(7)/E-41734/2022

देहरादूनः दिनांक 11 सितम्बर, 2023

<u>कार्यालय–ज्ञाप</u>

विषयः– राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में **राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को** प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन अधिनियम में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर अधिनियम में दिये गये निर्देशानुसार प्रसूति/मातृत्व अवकाश की सुविधा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) विभागीय माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को नियोक्ता द्वारा एवं वाह्य स्रोत से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया जायेगा।

(ii) प्रसूति अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान यथाप्रकिया नियोक्ता के द्वारा किया जायेगा।

(iii) प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में संबन्धित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उक्त वर्णित अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

Signed by Dilip Jawalkar

Date: 11-09-2023 18:34:23

(दिलीप जावलकर)

सचिव।

<u>संख्या– (1)/XXVII(7)/E-41734/2022, तद्दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख/मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
7. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।